पत्रांक–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–.....554.....(9A)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–27-02-2025

विषय :– **दाखिल–खारिज अपील वादों के त्वरित निस्तारण के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 11 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के पारित होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकते है।

राज्य के विभिन्न अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालयों में दर्ज दाखिल–खारिज वादों की समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि बहुत सारे मामलों में दाखिल–खारिज अपील वाद गुणागुण (Merits) के आधार पर अस्वीकृति के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी दायर किया जा रहा है।

2. दाखिल–खारिज वाद, जहाँ अंचल अधिकारी द्वारा गुणागुण के आधार पर नहीं बल्कि निम्नांकित कारणों से **अस्वीकृति का आदेश** पारित किया गया है :–

(i) आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/साक्ष्यों को संलग्न नहीं किया जाना।

(ii) संलग्न दस्तावेजों का अपठनीय होना।

(iii) आवेदन करते समय आवेदक के स्तर से हुई गणितीय या लिपिकीय भूल अर्थात् हित अर्जित करने के संलग्न साक्ष्य में अंकित रैयत या भूमि की विवरणी एवं ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विवरणी में भूलवश विसंगति होना।

(iv) ऑनलाइन जमाबंदी, जहाँ से रकबा घटाया जाना है, में त्रुटि (उस जमाबंदी का ऑनलाइन अनुपलब्ध होना/जमाबंदी में संबंधित खेसरा का विवरण दर्ज नहीं होने/गलत जमाबंदी के चयन के कारण)।

3. वर्त्तमान में उपरोक्त सभी अस्वीकृति के मामलों में संबंधित आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता में दाखिल–खारिज अपील वाद दायर करना पड़ता है एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अत्याधिक वादों के बोझ के कारण उपरोक्त मामले भी लंबे समय तक

लंबित रह जाते हैं, जिनमें ज्यादातर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुनवाई के उपरांत नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु अंचल अधिकारी को रिमांड कर देते है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दाखिल–खारिज अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श संसूचित किये जाते है :–

"दाखिल–खारिज वाद के वैसे मामले, जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा गुणागुण के आधार पर **अस्वीकृति** नहीं दी गयी है बल्कि आवेदक द्वारा संगत दस्तावेज नहीं लगाने अथवा उनके अपठनीय होने या आवेदन भरते समय गणितीय या लिपिकीय भूल के साथ रैयत या भूमि का विवरण अंकित करने या ऑन–लाइन जमाबंदी जहाँ से रकबा घटाया जाना है, उसमें त्रुटि के कारण अस्वीकृत किया गया हो एवं संबंधित आवेदक द्वारा अपील वाद में वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया हो, तब भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि को ही अंचल अधिकारी के द्वारा पुनः सुनवाई का आदेश पारित करते हुए अपील वाद को निष्पादित किया जाना उचित रहेगा क्योंकि ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी का अस्वीकृति का आदेश गुणागुण के आधार पर नहीं है। ऐसे मामलों को लम्बे समय तक सुनवाई के लिए लम्बित रखने एवं अंततः काफी अवधि के बाद रिमांड का आदेश पारित करने से न केवल आवेदक को कठिनाई उत्पन्न होती है बल्कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में लम्बित वादों का बोझ भी बढ़ता है।

उक्त के आलोक में दाखिल–खारिज अपील के सभी लम्बित वादों का अध्ययन कर वैसे वाद, जो उपरोक्त मामलों के अन्तर्गत आते है, का निष्पादन उपरोक्त परामर्श के अनुसार सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा माह मार्च, 2025 तक करने हेतु आवश्यक निदेश देना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 27/2/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–554 (9A)/रा0 दिनांक 27-02-2025

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 27/2/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–554 (9A)/रा0 दिनांक 27-02-2025

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 27/2/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–554(9A)/रा0 दिनांक 27-02-2025

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–554(9A)/रा0 दिनांक 27-02-2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।